न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी 1415-PBR-15

प्र.क. /15/निगरानी

जगदीश सिंह पुत्र श्री अवतार सिक्ख, निवासी ग्राम कोटा, तहसील व जिला शिवपुरी, (म.प्र.)

श्री सु.के. अग्रवाल अभि० दिनांक 9-6-15 को प्रस्तुत।

9-6-15

.... आवेदक

–बनाम–

1. गुलाब सिंह पुत्र मोहन किरार
2. बारेलाल पुत्र मोहन किरार
3. रघुवीर सिंह पुत्र जीवनलाल किरार
4. विक्रम पुत्र श्री इन्द्रजीत किरार
5. परमा पुत्र सामलिया किरार
6. गजराज सिंह पुत्र बादाम सिंह
7. पहलवान सिंह पुत्र बादाम सिंह
8. महिला उत्तरा कुमारी पत्नि श्री नवल किशोर चौधरी

   समस्त निवासीगण ग्राम कोठा तहसील व जिला शिवपुरी(म.प्र.)
9. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी (म.प्र.)

.... अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

.क निगरानी 1415–पीबीआर/15 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–6–2015	आवेदक एवं शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 5–11–2014 का अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने से आवेदक को अपूर्णीय क्षति हो रही है, क्योंकि अपर आयुक्त के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अनावेदकगण तहसीलदार के आदेश दिनांक 8–8–2013 का कियान्वयन कराना चाहते है । इस प्रकरण की स्थिति को देखते हुये अपर आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वे अपील प्रकरण का 3 माह में निराकरण करें । साथ ही उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर स्थगन के बिन्दु पर भी निर्णय ले । अपर आयुक्त द्वारा स्थगन पर निर्णय लिये जाने तक यथा स्थिति बनाये रखे जाने के निर्देश दिये जाते है । प्रकरण ग्राह्यता के बिन्दु पर ही समाप्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	